न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात अपील वाद संख्या–31/2023

गौतम प्रसाद

बनाम्

राज्य

–: आदेश :–

10/08/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी गौतम प्रसाद पिता–झुलन प्रसाद, ग्राम–बारियातु थाना–बारियातु (बालूमाथ), जिला–लातेहार के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के न्यायालय अधिहरण वाद संख्या–19/2020 में दिनांक 10.12.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन समर्पित किया गया है।

अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि हाईवा रजि0 नं0–JH19B-7291 एवं उसपर लदे 400 CFT बोल्डर पत्थर के साथ राजसात की कार्रवाई प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल के द्वारा अधिहरण वाद संख्या–19/2020 से किया गया है। दिनांक 12.08.2020 को लगभग 07:30 बजे गस्ती के दौरान वन कर्मियों को ग्राम–दुन्दू के नजदीक बिचलीदाग पी0एफ0 की ओर से एक हाईवा आते दिखाई दिया और वन कर्मियों के नजदीक पहुंचते हुए चालक वाहन छोड़कर भाग गया, जिसे जप्त कर मनिका वन क्षेत्र परिसर में रखा गया है। अपीलार्थी जप्त हाईवा के मालिक हैं उन्होंने एकरारनामा के आधार पर श्री आसुतोष पाठक पिता–अजय कुमार पाठक को किराये पर चलाने के लिए दिया था। जप्ती के समय यह पाया गया है कि बिचलीदाग पी0एफ0 जो भारतीय वन अधिनियम की अधारा–29 के तहत् अधिसूचित है, से पत्थर बोल्डर ले जा रहा था। पट्टा धारक द्वारा एक चालान प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रातः 08:02 बजे बोल्डर उठाने का समय अंकित है, जबकि बोल्डर को सुबह–07:30 बजे जप्त किया गया है और इसी आधार पर राजसात का आदेश पारित किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा बगैर विधिवत जांच किये राजसात का आदेश पारित किया गया है, जो गलत है। वन कर्मियों के द्वारा उत्खनन स्थल की मांपी नहीं कराई गयी है। वन अधिकारी ने अधिहरण की सूचना न्यायिक दण्डाधिकारी को नहीं भेजा है, जहां इसकी शिकायत लंबित है। अपीलार्थी अपने वाहन को लीज माईनिंग एरिया से वैध कानूनी सामान के परिवहन हेतु आसुतोष पाठक को एकरारनामा पर दिया था और उक्त घटना से

अपीलार्थी अनभिज्ञ थे। इसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अतः अधिहरण वाद संख्या–19/2020 में दिनांक 10.12.2022 को पारित आदेश को रद्द किया जाय।

लोक अभियोजक, लातेहार के पत्रांक 1380 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा मंतव्य दिया गया है कि "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS. बिचलीदाग पी0एफ0 से पत्थर उत्खनन कर हाईवा पंजियन संख्या–JH19B-7291 द्वारा परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33(1)(बी) के तहत् एक दण्डनीय वन अपराध है। अपीलार्थी के द्वारा पत्थर बोल्डर का सक्षम प्राधिकार से निर्गत परिवहन चालान न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है। अपीलार्थी के आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, लोक अभियोजक, लातेहार का मंतव्य एवं अभिलेख में उपस्थित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिचलीदाग सुरक्षित वन भूमि से अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर जप्त हाईवा पंजियन संख्या–JH19B-7291 से परिवहन किया गया है, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33(1)(बी) के तहत् एक दण्डनीय वन अपराध है। अपीलार्थी के द्वारा पत्थर बोल्डर का सक्षम प्राधिकार से निर्गत परिवहन चालान न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है तथा प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा अधिहरण वाद संख्या–19/2020 में दिनांक 10.12.2022 को पारित आदेश को बहाल रखा जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 17:43:59 +05:30
Location: 10.93.47.5